संख्याः-380/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी-II

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2019

विषयः-जनपद आगरा में रासायनिक तथा औद्योगिक आपदाओं के खतरे के न्यूनीकरण हेतु आयोजित गोष्ठी पर आने वाले व्यय-भार हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 में रासायनिक तथा औद्योगिक आपदाओं के खतरे के न्यूनीकरण हेतु आयोजित गोष्ठी पर आने वाले व्यय-भार हेतु सामान्य व्यय मद से धनावंटन हेतु किये गये अनुरोध दिनांक 18.07.2019 के अनुक्रम में **धनराशि रू0 1,67,000/-(रूपये एक लाख सरसठ हजार मात्र)** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जिलाधिकारी आगरा के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

| क्रम | जनपद का नाम/ पत्र संख्या व दिनांक | आपदा का प्रकार/मद | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | वर्तमान में स्वीकृत धनराशि | अब तक कुल स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में) (4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आगरा, पत्रांक-350, दिनांकः-18.07.2019 | सामान्य व्यय-11 | 05.00 | 01.67 | 06.67 |
| | | **योग** | **05.00** | **01.67** | **06.67** |
| | | | | | **(रूपये एक लाख सरसठ हजार मात्र)** |

(1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या-380(1)/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी-II, दिनांकः 21 अगस्त ,2019

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2- मण्डलायुक्त आगरा, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, बापू भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, उ0प्र0।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

(लेखाशीर्ष 11) एसडीआरएफ मे सामान्य व्यय समावंटन 2019-20 //19

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner